न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2022/309(113/2022) दर्ज तिथिः—16.09.2022

1. खेताराम पुत्र मुकनाराम
   जाति जाट निवासी बोर चारणान तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.......................वादी

बनाम

1. कसूंबी पुत्री चुतराराम
   हाल निवासी हीरोणियों का तला (शोभाला जैतमाल) तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
2. खेमी पुत्री तगी
3. पालू पुत्री चुतराराम
4. भेराराम पुत्र तगी (नाबालिग का वली मेहराराम पुत्र लुम्भाराम)
   जाति जाट निवासी गादेश्वरी
5. मूली पुत्री चुतराराम हाल निवासी पूंजाबेरी
6. हीराराम पुत्री तगी (नाबालिग का वली मेहराराम पुत्र लुम्भाराम)
   जाति जाट निवासी गादेश्वरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   (प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 वयस्क)

................असल प्रतिवादीगण

7. तहसीलदार गुड़ामालानी

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगणः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:संशोधित निर्णयः—

संशोधित निर्णय तिथिः—06.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:39 IST
Reason: SelfAttested

तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 269/2.0072 है0, 269/3/2.2420 है0 मौजा गादेश्वरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा दौरान–ए–बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31.07.2023 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2023/1569 दिनांक 15.12.2023 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 08.03.2024 को जारी की गई।

3. प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–152 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 का पेश कर निवेदन किया गया कि न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 08.03.2024 में टंकण की गलती से विभक्त खाते में खसरा संख्या 269/3 के स्थान पर 122/2 लिख दिया गया है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं जमाबंदी तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट में विभक्त खसरों का खसरा संख्या 269/3 दर्ज है। अतः उक्त गलत खसरा संख्या 122/2 के स्थान पर खसरा संख्या 269/3 सही कर प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–152 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–152 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.03.2024 को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 08.03.2024 में टंकण की गलती से विभक्त खाते में खसरा संख्या 269/3 के स्थान पर 122/2 अशुद्ध लिखा गया है। जिसको शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–152 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर संशोधित आदेश पारित किया जाना उचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:39 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 269/2.0072 है0, 269/3/2.2420 है0 मौजा गादेश्वरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:39 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 269 / 2.0072 है0, 269 / 3 / 2.2420 है0 मौजा गादेश्वरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
खेताराम वल्द मुकनाराम जाति जाट सा0 बोर चारणान खातेदार	पूर्ण	गादेश्वरी	269	0.3642	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.3642 है0					
खेमी पुत्री तगी भैराराम पुत्र तगी हीराराम पुत्र तगी पालु पुत्री चुतराराम जाति जाट सा0 देह कलूदेवी पत्नी मोहनलाल लीलादेवी पत्नी धर्माराम जाति ब्राहम्ण सा. रोली खातेदार	खाता संख्या 34 (पुराना 13) में दर्ज अनुसार	गादेश्वरी गादेश्वरी	269 269 / 3	1.6430 2.2420	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 3.8850 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह संशोधित निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:39 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2022 / 309(113 / 2022) दर्ज तिथिः—16.09.2022

1. खेताराम पुत्र मुकनाराम
   जाति जाट निवासी बोर चारणान तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. कसूंबी पुत्री चुतराराम
   हाल निवासी हीरोणियों का तला (शोभाला जैतमाल) तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
2. खेमी पुत्री तगी
3. पालू पुत्री चुतराराम
4. भेराराम पुत्र तगी (नाबालिग का वली मेहराराम पुत्र लुम्भाराम)
   जाति जाट निवासी गादेश्वरी
5. मूली पुत्री चुतराराम हाल निवासी पूंजाबेरी
6. हीराराम पुत्री तगी (नाबालिग का वली मेहराराम पुत्र लुम्भाराम)
   जाति जाट निवासी गादेश्वरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   (प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 वयस्क)

.....असल प्रतिवादीगण

7. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगणः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 269 / 2.0072 है0, 269 / 3 / 2.2420 है0 मौजा गादेश्वरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
खेताराम वल्द मुकनाराम जाति जाट सा0 बोर चारणान खातेदार	पूर्ण	गादेश्वरी	269	0.3642	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.3642 है0					
खेमी पुत्री तगी भैराराम पुत्र तगी हीराराम पुत्र तगी पालु पुत्री चुतराराम जाति जाट सा0 देह कलूदेवी पत्नी मोहनलाल लीलादेवी पत्नी धर्माराम जाति ब्राहम्ण सा. रोली खातेदार	खाता संख्या 34 (पुराना 13) में दर्ज अनुसार	गादेश्वरी गादेश्वरी	269 269/3	1.6430 2.2420	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 3.8850 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह संशोधित डिक्री आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 10:55:39 IST
Reason: SelfAttested